

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 106-2024/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 15, 2024 (ASADHA 24, 1946 SAKA)

### हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 15 जुलाई, 2024

संख्या 16/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप—धारा (1) और धारा 15 की उप—धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः—

## संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

- (क) अनुसूची II में-6%,-
  - (i) क्रम संख्या 121 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"121क	4819 10,4819 20	कार्टन, बक्से और निम्नलिखित के केस,—
		(क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा
		(ख) गैर—नालीदार कागज या पेपर बोर्ड";

(ii) क्रम संख्या 180 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"180क   7310, 7323, 7612 या   लौह, स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के केन";   7615
---

(iii) क्रम संख्या 183 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात:—

"183क	7321 या 8516	सोलर कूकर";
-------	--------------	-------------

- (iv) क्रम संख्या 199 के सामने, खाना (3) के नीचें, "शाविकत्र" शब्द के पश्चात्, ";उनके पुर्जे" चिह्न और शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) अनुसूची III में-9%,-
  - (i) क्रम संख्या 153क और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"153क	4819 (4819 10,4819 20 को छोड़कर)	सभी वस्तुएं (कार्टन, बक्से और निम्नलिखित के केस,–
		क. नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा
		ख. गैर—नालीदार कागज या पेपर बोर्ड, से भिन्न)";

- (ii) क्रम संख्या 224 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "लौह या स्टील से बने दूध के लिए कैन्स को छोड़कर, किसी अन्य सामग्री (सम्पीड़ित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी, वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान, जिनकी धारिता 3०० लीटर से अधिक नहीं है, चाहे आस्तरित या तापरोधित है या नहीं, किन्तु जिनमें यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किए गए हैं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (iii) क्रम संख्या 235 के सामने, खाना (3) के नीचे, अंत में, "और उड बर्निंग स्टोब्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों" शब्दों के स्थान पर, ",वुड बर्निंग स्टोब्स, आयरन या स्टील के, और सोलर कूकर, से भिन्न हों" चिह्न और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 273 के सामने, खाना (3) के नीचे, "बॉक्स, आदि" शब्दों के पश्चात्, "; एल्यूमीनियम से बने दूध के केन से भिन्न" चिह्न और शब्द रखे जाएंगे ;
- (v) क्रम संख्या 275क के सामने, "बर्तनों" शब्दों के पश्चात्, "; एल्यूमीनियम से बने दूध के केन" चिह्न और शब्द रखे जाएंगे ;
- (vi) क्रम संख्या 378क के सामने, खाना (3) के नीचे, "अन्य तापीय साधित्र" शब्दों के पश्चात्," [सोलर कूकर को छोड़कर]" कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ग) अनुसूची VII के बाद, व्याख्या में, खंड (ii) में,
  - (i) अंत में विद्यमान "।" चिहन के स्थान पर, ":" चिहन प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
  - (ii) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और इसके अधीन बनाए गए नियमों, में दी गई किसी बात के होते हुए भी, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज के प्रदाय को 'प्री—पेकेज्ड और लेबलड़' अभिव्यक्ति के भीतर किए गए प्रदाय के रूप में नहीं माना जाएगा।"।

2 यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

### HARYANA GOVERNMENT

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

### **Notification**

The 15th July, 2024

**No. 16/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

### **AMENDMENT**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

- (A) In Schedule II -6%, -
  - (i) after serial number 121 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

"121A	4819 10, 4819 20	Cartons, boxes and cases of, –
		(a) corrugated paper or paper board; or
		(b) non-corrugated paper or paper board";

(ii) after serial number 180 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"180A	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium";
-------	---------------------------	---

(iii) after serial number 183 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"183A	7321 or 8516	Solar cookers";

- (iv) against serial number 199, under column (3), after the word "brooders", the words and symbol "; parts thereof" shall be inserted;
- (B) in Schedule III -9%, -
  - (i) for serial number 153A and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

"153A	4819 (except 4819 10, 4819 20)	All Goods	
		(other than Cartons, boxes and cases of, -	
		(a) corrugated paper or paper board;or	
		(b) non-corrugated paper or paper board)";	

- (ii) against serial number 224, under column (3), after the word "equipment", the words and symbols "; other than Milk cans made of Iron, or Steel" shall be inserted;
- (iii) against serial number 235, under column (3), at the end, for the words, "and wood burning stoves of iron or steel", the signs and words, ", wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers" shall be substituted;
- (iv) against serial number 273, after the words "boxes, etc.", the words and signs "; other than Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;
- (v) against serial number 275A, after the words "Utensils", the words and signs "; Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;

- (vi) against serial number 378A, under column (3), for the words and signs "domestic purposes;", the words, signs and brackets "domestic purposes [other than solar cookers];" shall be substituted;
- (C) after the Schedule VII, in the Explanation, in clause (ii),-
  - (i) for the signs "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
  - (ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'.".

2. This notification shall come into force on the 15th day of July, 2024.

DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

11185—C.S.—H.G.P., Pkl.